मानवाधिकार

(Human Rights)

अवधारणा, इतिहास और भारतीय संदर्भ

प्रस्तुतकर्ता: डॉ. राजकुमार बंजारे

विभाग: राजनीति विज्ञान विभाग

महाविद्यालय: शासकीय दिग्विजय स्वायत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

रूपरेखा (Table of Contents)

- परिचय एवं अर्थ (Introduction & Meaning)
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
- सार्वभौमिक घोषणा 1948 (UDHR)
- मानवाधिकारों की विशेषताएँ (Characteristics)
- अधिकारों के प्रकार (Types)
- भारतीय संविधान में प्रावधान (Indian Constitution)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- राज्य मानवाधिकार आयोग (State Commission)
- कमजोर वर्गों के अधिकार (Vulnerable Groups)
- न्यायपालिका की भूमिका (Role of Judiciary)
- चुनौतियाँ (Challenges)
- निष्कर्ष (Conclusion)

परिचय (Introduction)

मानवाधिकार क्या हैं?

मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये अधिकार जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के भेदभाव के बिना सभी के लिए समान हैं।

ये अधिकार हमारे जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता की रक्षा करते हैं।

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition)

"मानवाधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।"

- हेराल्ड लास्की (Harold Laski)

सरल शब्दों में: "गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार ही मानवाधिकार हैं।"

ऐतिहासिक विकास (Historical Evolution)

1215
मैग्रा कार्टा
मानवाधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज (इंग्लैंड)

1789
फ्रांसीसी क्रांति
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा

1945
संयुक्त राष्ट्र (UN)
मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूएन की स्थापना

1948
UDHR
सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी

सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) 1948

10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा' (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया।

- इसमें कुल **30 अनुच्छेद (Articles)** हैं।
- यह दुनिया का सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज है।
- इसलिए 10 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है।

मानवाधिकारों की विशेषताएँ (Characteristics)

सार्वभौमिक (Universal)

ये अधिकार दुनिया के सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।

अदेय (Inalienable)

इन्हें किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता (सिवाय कानूनी प्रक्रिया के)।

अविभाज्य (Indivisible)

सभी अधिकार (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक) एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

मानवाधिकारों के प्रकार (Types of Rights)

नागरिक और राजनीतिक अधिकार

- जीवन का अधिकार
- स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार
- मत देने का अधिकार
- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक

- काम करने का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- भोजन और आवास का अधिकार
- सांस्कृतिक सुरक्षा

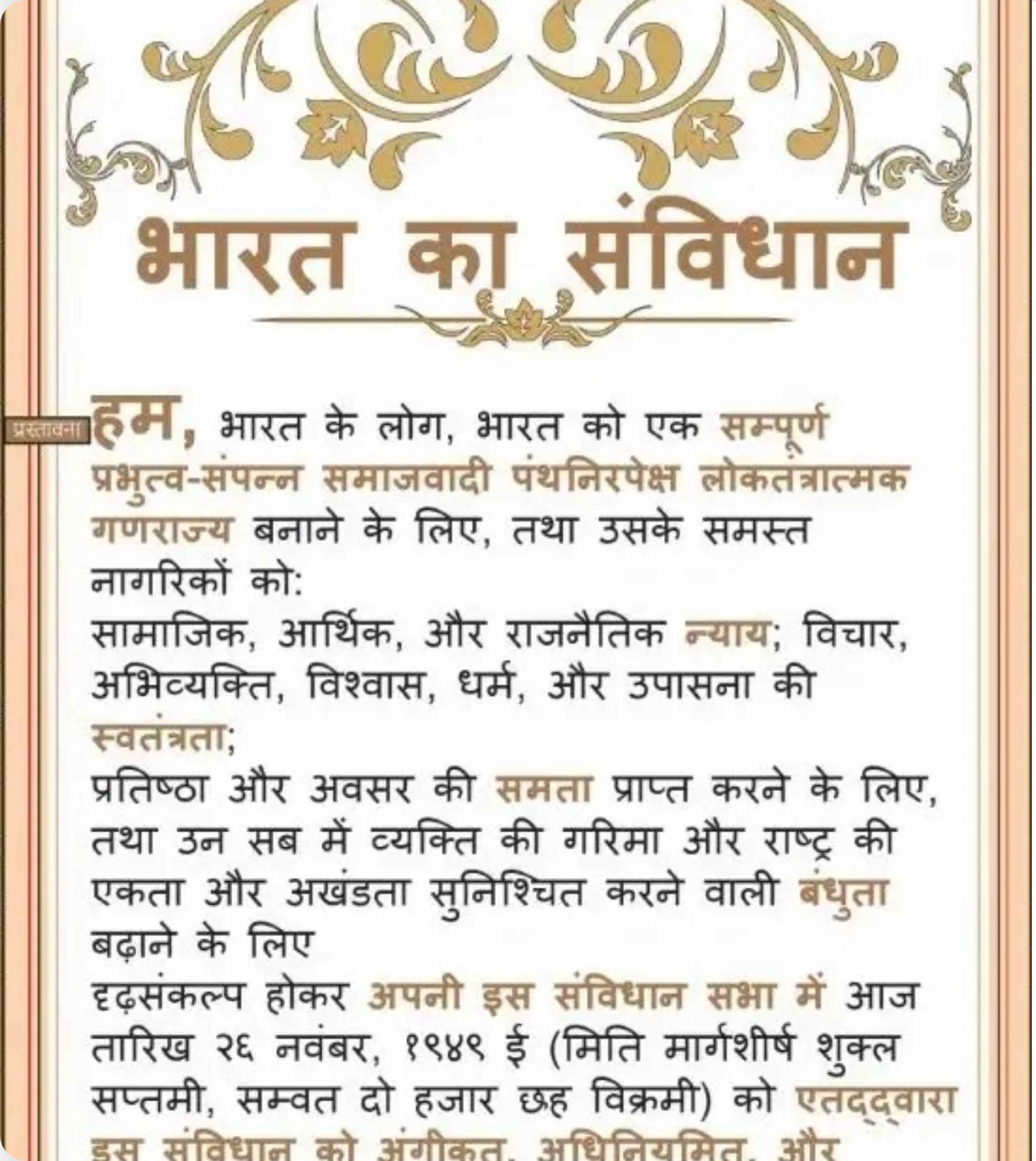

भारतीय संविधान और मानवाधिकार

भारत का संविधान मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है।

- **मौलिक अधिकार (भाग-3):** अनुच्छेद 12 से 35 तक (समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार)।
- **नीति निर्देशक तत्व (भाग-4):** अनुच्छेद 36 से 51 (कल्याणकारी राज्य की स्थापना)।
- **अनुच्छेद 21:** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

गठन एवं कार्य

स्थापना: 12 अक्टूबर 1993 (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत)।

उद्देश्य: संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों (जीवन, स्वतंत्रता, समानता) का संरक्षण करना।

शक्तियां: यह एक वैधानिक निकाय है जिसे दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं। यह मानवाधिकार हनन की जांच करता है।

राज्य मानवाधिकार आयोग (छत्तीसगढ़)

क्षेत्राधिकार

राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना।

संरचना

अध्यक्ष (उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश) और अन्य सदस्य।

भूमिका

छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर मानवाधिकारों की जागरुकता और संरक्षण सुनिश्चित करना।

कमजोर वर्गों के अधिकार

समाज के कुछ वर्गों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है।

- **महिलाएं:** घरेलू हिंसा से सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, समान वेतन, राजनीतिक भागीदारी।
- **बच्चे:** निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (RTE), बाल श्रम पर रोक, पोषण और स्वास्थ्य।
- **SC/ST:** भेदभाव और अत्याचार से सुरक्षा (Atrocities Act)।

न्यायपालिका की भूमिका (Role of Judiciary)

सर्वोच्च न्यायालय: प्रहरी

PIL (जनहित याचिका): इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति दूसरों के मानवाधिकारों के लिए कोर्ट जा सकता है। इसने न्याय को आम आदमी तक पहुँचाया है।

अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट को मानवाधिकारों का संरक्षक बनाता है।

समकालीन चुनौतियाँ (Challenges)

आतंकवाद

मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा।

पर्यावरण

स्वच्छ पर्यावरण का अभाव जीवन के अधिकार का हनन है।

डिजिटल अधिकार

निजता (Privacy) और साइबर सुरक्षा की नई चुनौतियाँ।

गरीबी

भुखमरी और अशिक्षा गरिमापूर्ण जीवन में बाधक हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

मानवाधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि यह एक सभ्य समाज की नींव हैं। "वसुधैव कुटुम्बकम" की भारतीय भावना ही मानवाधिकारों का मूल है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे।

धन्यवाद

प्रश्न? (Questions?)

डॉ. राजकुमार बंजारे
राजनीति विज्ञान विभाग
शासकीय दिग्विजय स्वायत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव

Image Sources

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/003/724/390/non_2x/different-hand-sign-on-international-human-rights-day-concept-illustration-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com

https://www.nps.gov/elro/learn/historyculture/images/D1-1.jpg

Source: www.nps.gov

https://uppscroarohindi.com/wp-content/uploads/2024/05/Preamble-Indian-Constitution-Important-Questions-1-1.webp

Source: uppscroarohindi.com

https://nhrc.nic.in/sites/default/files/34623_1.jpg

Source: nhrc.nic.in

https://borgenproject.org/wp-content/uploads/Revolutionizing-Education-in-Rural-India-with-Mobile-Schools.jpg

Source: borgenproject.org

http://www.speel.me.uk/sculptlondon/lonpico/oldbailey/justice3.jpg

Source: www.speel.me.uk